(95)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3473–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2015 – पारित व्दारा – तहसीलदार अशोकनगर – प्रकरण क्रमांक 68 अ–6/2014–15

सत्यप्रकाश पुत्र बुन्देल सिंह यादव
निवासी तायड़े कालोनी, अशोकनगर
तहसील व जिला अशोकनगर, म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

जगराम सिंह उर्फ गजराम सिंह यादव
ग्राम विजयपुरा तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 16–3–2016 को पारित)

तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 68 अ–6/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–9–2015 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक जगराम सिंह उर्फ गजराम सिंह यादव निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील ईसागढ़ ने तहसीलार अशोकनगर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

मांग रखी कि उसके व्दारा ग्राम पथरिया की भूमि सर्वे नंबर 242 कुल रकबा 1-860 हैक्टर में से हिस्सा 1/5 अर्थात रकबा 0-372 हैक्टर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28-12-14 से क्रय की है अतः विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार अशोकनगर ने प्रंकरण क्रमांक 68 अ-6/2014-15 पंजीबद्ध किया तथा इस्तहार का प्रकाशन किया, जिस पर आवेदक व्दारा आपत्ति की गई कि उसके व्दारा भूमि को रहन रखा है जिसके एवज में विक्रय पत्र लिखवाया है इसलिये नामान्तरण न किया जाय। यह भी आपत्ति की गई कि इसी भूमि पर स्वत्व का विवाद व्यवहार न्यायलय में लम्बित है। तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन का निराकरण अंतरिम आदेश दिनांक 30-9-15 से किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि 2.70 लाख रूपये आवेदक ने अनावेदक से उधार लिये थे तथा 6 माह के वाद मय व्याज के लौटाने का बायदा था इसी आधार पर बैनामा किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व का दावा दीवानी न्यायालय में चल रहा है इसलिये तहसीलदार व्दारा बयनामे के आधार पर की जा रही नामान्तरण कार्यवाही आपत्ति करने के वाद भी नहीं रोकने में त्रृटि की है।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि दीवानी वाद निर्णीत हो चुका है अपील लम्बित है । जब दीवानी न्यायालय से अथवा अन्य वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन नहीं है तब नामान्तरण कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से विचार यह करना है कि क्या दीवानी वाद प्रचलित रहते नामान्तरण कार्यवाही रोक देना चाहिये। दीवानी न्यायालय से स्वत्व का प्रश्न विनिश्चित होने के वाद दीवानी न्यायालय से हुये आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है । तद्नुसार राजस्व अभिलेख में सक्षम अधिकारी व्दारा सुधार किया जावेगा, परन्तु तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 68 अ-6/ 2014-15 में संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 31-12-14 के अवलोकन से परिलक्षित है कि विक्रय पत्र में रहन संबंधी विवरण अंकित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र संपादित होना परिलक्षित है तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से रहननामा अथवा अन्य कोई करार आदि भी तदाशय का प्रस्तुत नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 में नामान्तरण कार्यवाही करना केवल अभिलेख को अद्धतन रखने की प्रक्रिया है हक अथवा स्वत्व का विनिश्चिय नहीं है जिसके कारण तहसीलदार व्दारा की जा रही कार्यवाही में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 68 अ-6/ 2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-9-2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर